सूदखोर रोहित तोमर की पत्नी गिरफ्तार आरोपितों से लगातार बना हुआ था संपर्क

कार्रवाई जारी ● जिस फर्म से होती थी खरीदी-बिक्री उसकी संचालिका थी भावना

सूदखोर तोमरों का धंधा तार-तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : सूदखोरी और धमकाने के मामलों में फरार चल रहे हिस्ट्रीशीटर रोहित तोमर पत्नी भावना तोमर को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार, फरार होने के बाद भी तोमर बंधु अपने लोगों से लगातार संपर्क में थे, जिसके कुछ पुख्ता इलेक्ट्रानिक साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे हैं। वहीं भावना तोमर के खिलाफ भी पुरानी बस्ती में अपराध दर्ज है। शुभकामना वेंचर्स प्रा.लि. कंपनी की भावना तोमर संचालिका थी। इसी कंपनी से जमीन की खरीदी और बिक्री भी होती थी। इसी के आधार उसकी गिरफ्तारी की गई है।

वीरेंद्र तोमर की पत्नी सुभ्रा तोमर को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तोमर बंधुओं के खिलाफ रायपुर के पुरानी बस्ती और तेलीबांधा थानों में सात मामले दर्ज हैं। इनमें मारपीट, धमकी, सूदखोरी और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है और पांच-पांच हजार रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है।

तीन लाख के बदले चुकाए आठ लाख, फिर भी नहीं दी कार: हिस्ट्रीशीटर तोमर बंधुओं की जैगुआर कार को जब्त किया गया है। जांच के दौरान भिलाई निवासी मनोज कुमार वर्मा ने दावा किया कि यह कार असल में उनकी है। मनोज वर्मा के अनुसार, उन्होंने करीब पांच साल पहले तोमर बंधुओं से तीन लाख रुपये उधार लिए थे, जिसके एवज में जैगुआर कार गिरवी रखी थी। अब तक करीब आठ लाख रुपये चुका दिए हैं, इसके बावजूद तोमर बंधु गाड़ी वापस नहीं की। पुलिस पूछताछ में इस लेन-देन की पूरी जानकारी सामने आई है।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपित भावना तोमर(बायें)। ● पुलिस

नईदुनिया लगातार

होटल कारोबारी ने तोमर भाइयों पर लगाया 50 लाख वसूली का आरोप

सूदखोर तोमरों का धंधा तार-तार

3 जुलाई को प्रकाशित

दोनों भाइयों पर 44 दिनों में सात केस दर्ज

कोर्ट ने दोनों को फरार घोषित किया है। दोनों भाइयों पर 44 दिनों में सात केस दर्ज किए गए हैं। इसमें सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग, मारपीट और आर्म्स एक्ट का मामला शामिल है। इन मामलों में तोमर परिवार की एक बहू, भतीजा दिव्यांश, दो वकील और दो कर्मचारी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी जेल में बंद हैं। इसी मामले में दोनों भाई लगातार फरार चल रहे हैं। परिजनों का दावा है कि दोनों भाई कहां है, इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने अब तक घर में संपर्क भी नहीं किया गया है। पुलिस भी दोनों को ढूंढ नहीं पा रही है।

18 को पेश होने का आदेश

वीरेंद्र सिंह तोमर।

रोहित तोमर। ● फाइल फोटो

सूदखोर तोमर बंधुओं को 18 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होने मौका दिया गया है। इस बार भी कोर्ट नहीं पहुंचने पर कोर्ट के आदेश पर पुलिस संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने बताया कि वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर पिछले सवा महीने से फरार चल रहे हैं। दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। उन्हें 14 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होना था। उनके घर पर जाकर इसकी सूचना दी गई। उसके बाद भी दोनों भाई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए।